संख्या-77/2018/440/69-1-18-47(म0ब0-83)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2018**

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-बिजनौर की 28 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4724/17/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 27 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-बिजनौर की न0पा0परि0, हल्दौर, नूरपुर एवं नटहौर तथा न0पं0, बढ़ापुर, झालू एवं मण्डावर की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 28 परियोजनाओं हेतु कुल **रू0 247.63 लाख** की **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 123.815 लाख (रूपये एक करोड़ तेईस लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टी़सी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका
3. खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमश:.........2

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

क्रमशः..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-696/दस-2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-177/2018/440(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बिजनौर ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-177/2018/440(1)/69-1-18-47(म0ब0-83)/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	बिजनौर	न0पं0, बढ़ापुर	मो0 नौमी में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से श्री हरपाल सिंही के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.65	4.325
2	तदैव	तदैव	मो0 नौमी में रामजीवाला रोड पर श्री चम्पत सिंह के मकान से श्री नरेश सिंह के मकान तक नाला निर्माण का कार्य।	5.36	2.68
3	तदैव	तदैव	मौ0 नौमी में रामजीवाला रोड पर श्री नरेश के मकान से गुला नदी तक नाला निर्माण का कार्य।	4.96	2.48
4	तदैव	तदैव	मो0 चमारन में श्री रामकिशन सिंह के मकान से श्री महेशचन्द्र सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.51	4.255
5	तदैव	न0पा0परि, हल्दौर	वार्ड नं0 01 के अन्तर्गत बाल्मिकी बस्ती में श्री महेन्द्र के मकान से मेन रोड तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.44	1.22
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 02 के अन्तर्गत हरिजन बस्ती में श्री सतपाल सिंह के मकान से आगे तक तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.10	0.55
7	तदैव	न0पा0परि0, नूरपुर	मो0 सैनीपुरम में श्री भूदेव सिंह के मकान से मन्दिर तक एवं लिंक गली के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	16.94	8.47
8	तदैव	तदैव	मो0 शहीदनगर में श्री घनश्याम सिंह के मकान से कालोनी के गेट की ओर तथा श्री बलराम सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.24	4.12
9	तदैव	तदैव	मो0 रविदास में श्री मुखराम सिंह के मकान से श्री दानिश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.61	7.305
10	तदैव	न0पं0, झालू	मो0 इसलामाबाद में श्री फूल सिंह के मकान से श्री रामलाल सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.35	2.175
11	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में श्री मुरारीलाल के मकान से श्री गोपाल के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	5.48	2.74

http://shasanadesh.up.nic.in

			कार्य।		
12	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में श्री नरेश के मकान से श्री विनोद के मकान तक व श्री सुभाष के मकान से श्री राजीव के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.43	1.215
13	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में बाल्मिकी मन्दिर से श्री दिनेश के मकान तक व श्री चेतराम के मकान से श्री पूरन सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.48	1.74
14	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में कालोनी के गेट से ट्रान्सफर्मार तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.38	4.69
15	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में ट्रान्सफार्मर से श्री छोटे के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.47	5.235
16	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में श्री छोटे के मकान से श्री बन्टी की दुकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.11	4.055
17	तदैव	तदैव	मो0 इसलामाबाद में श्री जगवीर सिंह के मकान से श्री बुन्दु की दुकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.89	3.445
18	तदैव	न0पं0, मण्डावर	मो कस्साबान में श्री चरन सिंह के मकान से मेनरोड तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.43	2.215
19	तदैव	तदैव	मो0 कस्साबान में श्री छोटे सिंह के मकान से श्री धन सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.65	1.825
20	तदैव	तदैव	मो0 कस्साबान में मण्डी समिति की दीवार से श्री फैययाज की चक्की के सामने तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.47	2.735
21	तदैव	तदैव	मो0 शहविलायात में श्री सत्य के मकान से श्री बाबू के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.01	2.505
22	तदैव	तदैव	मो0 शहविलायात में पीलखन के पेड से श्री मुन्नन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.86	4.93
23	तदैव	न0पा0परि, नहटौर	मो0 हाथीवाला मन्दिर दुर्गा बिहार कालोनी में श्री राधेश्याम सिंह के मकान से श्रीमती हेमलता के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.58	4.29
24	तदैव	तदैव	मो0 हाथीवाला मन्दिर दुर्गा बिहार कालोनी में श्री महावीर सिंह के मकान से श्री दिनेश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.26	7.13
25	तदैव	तदैव	मो0 हाथीवाला मन्दिर दुर्गा बिहार कालोनी में श्री ब्रजपाल सिंह के मकान से श्री सहदेव सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.45	7.225
26	तदैव	तदैव	मो0 हाथीवाला मन्दिर दुर्गा बिहार कालोनी में श्री अभिनव जैन के मकान से श्री पवन शर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	18.19	9.095

http://shasanadesh.up.nic.in

27	तदैव	तदैव	मो0 हाथीवाला मन्दिर दुर्गा बिहार कालोनी में श्री बालेश के मकानसे श्री दिनेश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	20.95	10.475
28	तदैव	तदैव	मो0 हाथीवाला मन्दिर दुर्गा बिहार कालोनी में श्री सुशील शर्मा के मकान से श्री पंकज त्यागी के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.38	10.69
			योग	247.63	123.815

(रूपये एक करोड़ तेईस लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) ।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in